प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.06.2021 जनपद देवरिया।

थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 25000 रू0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बघौचघाट पर वादी देवेन्द्र राजभर पुत्र सुखारी राजभर निवासी नौकाटोला थाना विजयीपुर जनपद सिवान बिहार की तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/20 धारा 304, 323 ,504 भा0द0वि0 का अभियोग अभियुक्त गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर ग्राम कोइरी पट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया के विरूद्ध पंजीकृत है, अभियुक्त द्वारा अपने ही ससुर को जान से मार देने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ था। अभियुक्त जनपद देवरिया से 25,000रू0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। आज दिनांक 13.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक बघौचघाट मय टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुशवाहा तिराहा के पास से अभियुक्त गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर ग्राम कोइरी पट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर ग्राम कोइरी पट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-
मु0अ0सं0 156/20 धारा 304, 323 ,504 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-
01.प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय थाना बघौचघाट देवरिया,
02. उपनिरीक्षक रविन्द्र नाथ यादव थाना बघौचघाट देवरिया,
02. उपनिरीक्षक कृष्णानन्द कुशवाहा थाना बघौचघाट देवरिया,
03 का0 प्रमोद कुमार यादव थाना बघौचघाट देवरिया,
04 का0 सुदीप प्रजापति थाना बघौचघाट देवरिया,
05 म0का0 रोली सिंह थाना बघौचघाट देवरिया,
06 म0का0 प्रतिमा शुक्ला थाना बघौचघाट देवरिया।